

11/5/18

जादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/
पीठारसीन अधिकारी राजकार्य से
भ्रमण/अनुपस्थिति पर है। पत्रावली पूर्ण आवेस
की पालना में दिनांक 23/5/18 को
पेश है।

१
आज्ञा से

23/5/18

पत्रावली राज्य सरकार के न्याय आपके
द्वारा 2018 के राजस्व लोक अदालत/कोर्ट
केम्प पर रखी जाकर पक्षकारान/अधिवक्ता
को जरिये सम्मन सूचित किया जाकर
पत्रावली केम्प 23/5/18 पर दिनांक
29/5/18 को पेश हो।

आज्ञा से
१

29/6/18

पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वारा 2018 के
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प रेलमग्न
पर रखी गयी। पक्षकारान अधिवक्ता
सूचना के अनुपस्थित रहे। पत्रावली का
अवलोकन किया तो पायी कि आप कि
उक्त प्रकरण 06 माह से भी अधिक सूचना
देकर वादग्रस्त अधिवक्ता के सम्बंध में कोर्ट
विद्यमान रजिस्ट्री उत्पन्न होना जरूर
गयी आपस है। ऐसी स्थिति में उक्त
प्रकरण में राज्य कोर्ट कार्यवाही शेष
नकी रही है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक
का प्रथम पत्र अक्टूबर 2018 का
कार्यवाही किया जाता है। पत्रावली
केवल शुभा होकर नग्न से कम कि
आकर सूचना के साथ संलग्न कि

जारी